

उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन

निदेशक

उच्च शिक्षा

हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

विषय - एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 के लिए चयनित छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य से बाहर अथवा विदेश में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जो कि उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं, का एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयन होने पर ऐसे प्रत्येक छात्र-छात्रा को धनराशि रू० 50 हजार मात्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष कृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त संस्थाओं में चयन होने पर चयनित छात्र/छात्रा को द्वारा संस्था में चयन होने एवं अध्ययनरत रहने का प्रमाण-पत्र संगत संस्था से प्राप्त करते हुये पुरस्कार हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में आवेदन किया जायेगा।

3. निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुये दिये धनराशि के विवरण सहित संस्तुति/समर्थक प्रस्ताव प्रत्येक छः माह में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण न किये जाने/प्रशिक्षण में असफल रहने पर प्रदत्त पुरस्कार वापस किया जाना होगा।

5. उक्त प्रयोजन हेतु धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012-13 में नई मांग के माध्यम से की जायेगी।

6. प्रस्तावित योजना दिनांक 09.11.2011 के बाद चयनित छात्र-छात्राओं पर लागू होगी।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठंकन संख्या : 7/98 (1) / XXIV (7) / 25 41 / 2011 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7. वित्त अनुभाग-3/मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।

8. गार्ड फाइल/एवं अन्य संबंधित।

आज्ञा से

(विदीराम)

अनु सचिव।

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 04 सितम्बर  
अमस्त, 2019

विषय:-एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित अभ्यर्थियों की भांति ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इण्डियन एयर फोर्स एवं इण्डियन नेवल एकेडमी में चयनित अभ्यर्थियों को भी पुरस्कार स्वरूप रू0 50,000/- की धनराशि वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2198/XXIV(7)/25(घो0)/2011, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति अभ्यर्थी रू0 50,000/- की धनराशि पुरस्कार स्वरूप वितरित किये जाने सम्बन्धी योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से संचालित की गयी थी किन्तु तत्समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (गया एवं चेन्नई), इण्डियन एयर फोर्स एकेडमी (हैदराबाद) एवं इण्डियन नेवल एकेडमी (विशाखापटनम) में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इस प्रकार एक रक्षा संस्थान में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है तथा दूसरे रक्षा संस्थानों में चयनित अभ्यर्थियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित अभ्यर्थियों की भांति ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इण्डियन एयर फोर्स एकेडमी एवं इण्डियन नेवल एकेडमी में चयनित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं, को भी पुरस्कार स्वरूप प्रति अभ्यर्थी रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि वितरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त योजना के संचालन के सम्बन्ध में समस्त कार्य/दिशा-निर्देश वही होंगे जो उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 द्वारा निर्धारित हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कालेज तथा संस्थान-12-एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार-00-42-अन्य व्यय के अधीन किया जायेगा तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4- उक्त योजना शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात चयनित होने वाले छात्र/छात्राओं पर लागू होगी।

क्रमशः.....2/-

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 71(म0)XXVII(3)/2019, दिनांक 28/08/2019 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

- संख्या- ———(1)/ XXIV(7)/2019-25(घ0)11 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 2-सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - 3-निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
  - 4-सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  - 5-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
  - 6-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  - 7-समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  - 8-निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड।
  - 9-निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
  - 10-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
  - 11-वित्त अनु0-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  - 12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(एम0एम0 सेमवाल)  
संयुक्त सचिव।

# ARMED FORCES SELECTED CANDIDATES AWARD SCHEME

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2198/XXIV(7)घो/2011 दिनांक 12.12.2011 के द्वारा एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 एवं शासनादेश संख्या/ 693/XXIV (7) घो/2011 दिनांक 04.09.2019 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0 तथा एयर फोर्स के लिए चयनित उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप (केवल 09.11.2011 एवं 04.09.2019 के बाद चयनित छात्रों हेतु)

**For more information**

**Link:- G.O- 2198 Date- 12.12.2011**

**G.O- 693 Date- 04.09.2019**

PASSPORT  
SIZE PHOTO

1. चयनित छात्र का नाम
2. पिता का नाम
3. माता का नाम
4. स्थायी पता (DOMICILE CERTIFICATE UPLOAD)
5. पत्र व्यवहार का पता (PRESENT ADDRESS)
6. मोबाईल नम्बर (WHATSAPP NO.)
7. ई-मेल आई0डी0
8. आधार कार्ड नं0
9. पैन कार्ड नं0 (UPLOAD)
10. छात्र का चयन कहाँ के लिए हुआ है (N.D.A/I.M.A/O.T.A/I.A.F/I.N.A)
11. छात्र का प्रशिक्षण (UNDERGOING/COMPLETED)
  - I. Joining letter with date
  - II. Training certificate
  - III. Posting/Serving letter (duly Signed)
12. बैंक का विवरण (Bank passbook upload)
  - I. बैंक का नाम एवं शाखा का नाम
  - II. बैंक एकाउन्ट नम्बर
  - III. IFSC नम्बर

दिनांक .....

चयनित छात्र के हस्ताक्षर

## घोषणा

उक्त प्रारूप पर उपलब्ध सूचना मेरे द्वारा सही अंकित की गयी है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने/अनुत्तीर्ण/मध्यावधि में कोर्स छोड़ने पर पुरस्कार की धनराशि 50 हजार एक मुश्त वापस कर दूंगा/दूंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से उक्त योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/सूचना त्रुटिपूर्ण होने पर धनराशि वापस कर दूंगा/दूंगी। अंकित सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

दिनांक.....

चयनित छात्र के हस्ताक्षर  
पूर्ण पते सहित।